तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1793/2006/बीकानेर जेठमल बनाम जयदेव	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री बद्रीप्रसाद, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1
श्रीमती रेखा गोयल, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–2 के वारिसान की ओर से

निर्णय

दिनांक 04.01.2021

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, उत्तर, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर प्रकरण को वास्ते अन्तिम बहस नियत किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके पक्षकार को मूल प्रकरण में पक्षकार संयोजित करने के उपरान्त प्रकरण को वास्ते अन्तिम बहस नियत कर दिया तथा प्रार्थी को जवाब एवं साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जबकि प्रावधित प्रावधानों के अनुसार पक्षकार बनाये जाने के उपरान्त प्रार्थी को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए था। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश जिसके द्वारा प्रकरण को अन्तिम बहस में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1793/2006/बीकानेर जेठमल बनाम जयदेव	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नियत किया गया, उसकी हद तक निरस्त किया जाकर शेष आदेश को यथावत रखा जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित करते हुए प्रकरण में वास्ते अन्तिम बहस नियत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित आदेश में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को निर्णीत करना उचित समझते है। प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार अप्रार्थी संख्या–2 भंवरी देवी को देहान्त हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार पूनमचन्द एवं सुशीला है, जिन्हें मृतक अप्रार्थी संख्या–2 के स्थान पर अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर मृतक अप्रार्थी भंवरी देवी के वारिसान को अप्रार्थीगण के रूप में रिकार्ड पर लिया जाता है।

पत्रावली एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी की ओर से पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे निगराधीन आदेश से स्वीकार कर प्रकरण को वास्ते अन्तिम बहस नियत किया। आगामी नियत तारीख पेशी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./1793/2006/बीकानेर जेठमल बनाम जयदेव	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को अन्तिम बहस नहीं सुनी जाकर प्राथमिक आपत्ति एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् राजस्व मण्डल के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थनापत्र विचाराधीन होने से प्रकरण की कार्यवाही स्थगित करने के प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी जाकर आदेश दिनांक 26–12–2005 से प्राथमिक आपत्ति एवं प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित करने के दोनों प्रार्थनापत्रों को निरस्त किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को अन्तिम बहस में नियत करने के आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	